



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102021-230555
CG-DL-E-20102021-230555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]
No. 604]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2021।

सा.का.नि. 747(अ).—केन्द्रीय सरकार, कॉफी अधिनियम, 1942, (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम, 2014, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती), संशोधन, नियम, 2021 हैं।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कॉफी बोर्ड (काडर और भर्ती) नियम, 2014, की अनुसूची में शीर्षक '(ii) "वैज्ञानिक" पदों,' के अंतर्गत क्रम सं. 1, के सामने स्तंभ (11) में, 'अनुसंधान निदेशक' के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि, के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थातः-

- “(i) वाणिज्य विभाग द्वारा नामोनिर्दिष्ट भारत सरकार संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी
- (ii) सचिव, कॉफी बोर्ड; और
- (iii) कृषि विज्ञान के क्षेत्र में तीन बाह्य विशेषज्ञ अधिकारी।”

[फा. सं. 01/04/2014-बागान-ख]
दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ), तारीख 14 मार्च 2014 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में 20 मार्च 2014, को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, अर्थातः -

- (i) सा.का.नि. 872(अ), तारीख 8 सितंबर 2016 ;
- (ii) सा.का.नि. 1375(अ), तारीख 8 नवम्बर 2017, और
- (iii) सा.का.नि. 1479(अ), तारीख 1 दिसंबर 2017

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October 2021

G.S.R. 747(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement. –

(1) These rules may be called the Coffee Board (Cadre and Recruitment), Amendment, Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014, in the Schedule, under the heading ‘(ii) “Scientific” Posts,’ against serial number 1, relating to the post of ‘Director of Research’, in column (11), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -

- “(i) An Officer of the rank of Joint Secretary to the Government of India or equivalent nominated by the Department of Commerce;
- (ii) Secretary, Coffee Board; and
- (iii) three external subject experts in the field of Agricultural Sciences”.

[F. No. 01/04/2014-Plant-B]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number G.S.R. 198 (E), dated 14th March, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) on the 20th March, 2014, and subsequently amended vide the following notifications, namely: -

- (i) G.S.R. 872(E), dated the 8th September, 2016;
- (ii) G.S.R. 1375(E), dated the 8th November, 2017; and
- (iii) G.S.R. 1479(E), dated the 1st December 2017